(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3019–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–1–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 138/10–11/निगरानी.

खलक सिंह पुत्र मंगूराम
निवासी ग्राम जौरासी
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–1–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, डबरा द्वारा दिनांक 22–5–2006 को आदेश पारित कर ग्राम जौरासी स्थित भूमि सर्वे कमांक 314 रकबा 5.59 हेक्टेयर में से 0.82 हेक्टेयर का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में किया गया । कलेक्टर द्वारा व्यवस्थापन में त्रुटि पाये जाने पर तहसीलदार का प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर व्यवस्थापन निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–1–2014 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश यथावत रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक सूचना उपरांत भी अनुपस्थित । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों एवं अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उल्लिखित किये गये हैं :–

(1) एम.पी.एच.टी. 2010 (V) 137 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही 180 दिन में की जा सकती है, परन्तु कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को लगभग चार वर्ष से भी की समय पश्चात स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया गया है । अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में अपर आयुक्त एवं कलेक्टर के आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(2) नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही में हितबद्ध पक्षकार को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, परन्तु कलेक्टर द्वारा आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । तर्क के समर्थन में 2011 आर.एन. 273 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

(3) राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत संबंधित कृषक की भूमि से लगी हुई भूमि का व्यवस्थापन किये जाने का प्रावधान है, और आवेदक की भूमि व्यवस्थापित शासकीय भूमि से लगी हुई है, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा भूमि व्यवस्थापन करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई थी, जिसे निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिकता की गई है, और कलेक्टर के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से आवेदक के पक्ष में भूमि का व्यवस्थापन किया गया था, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, और कलेक्टर के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने तहसील न्यायालय द्वारा किये गये व्यवस्थापन में गम्भीर अनियमितताएं पाते हुए तहसील

न्यायालय का प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर व्यवस्थापन निरस्त किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस सम्बन्ध में आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही अत्यन्त विलम्ब से की गई है, और हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि तहसील न्यायालय का आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश होने से समय–सीमा का बंधन नहीं रह जाता है, और आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर कलेक्टर द्वारा दिया गया है । चूंकि कलेक्टर का आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है, अतः कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गय समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–1–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर